

बहुभाषा शिक्षा नीति

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र है, एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक बच्चे को बिना किसी जांत-पात, धर्म, स्थान या लिंगभेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। गरीबी एवं असमानता को कम करने, स्वास्थ्य में सुधार करने, समाज के उत्थान के लिए शिक्षा एक प्रभावकारी कारक है। शिक्षा के माध्यम से हमें बच्चों में उन कौशलों का विकास करना होगा, जिसकी मदद से वे निर्धनता से उभर सकें एवं आत्मनिर्भर बन सकें। किन्तु इसके मार्ग में अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका हमें सीधा सामना करना होगा। संविधान की धारा 46 में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है बाल अधिकार अधिनियम 1989 के द्वारा की गई पहल के उपरात शिक्षा बच्चों के मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गई है। यह प्रयास शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन तमाम प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन की स्थिति तो सुधरी है किन्तु अभी भी शाला त्यागी और अनियमित उपस्थिति की समस्या बनी हुई है। जिसका कारण शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त न होना, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य भाषा के कारण संवादहीनता की स्थिति है।

1.2 बच्चों की शिक्षा में उनके सामाजिक, आर्थिक और जातीय परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तब उन्हें पूर्व से ही शब्द भंडार तथा भाषा के जटिल नियम जैसे— ध्वनि, शब्द, वाक्य, संवाद आदि का ज्ञान होता है। यह ज्ञान उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अंतःक्रिया एवं स्वयं के अनुभवों द्वारा प्राप्त होता है। किन्तु विद्यालय का वातावरण उनकी पृष्ठभूमि से बहुत अधिक अलग होता है। विद्यालय की पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों एवं अध्यापन का माध्यम अलग होने के कारण बच्चों को विद्यालय में सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः वे शाला में खोये— खोये से रहते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को कुछ नहीं आता, उन्हें अपनी बोली/भाषा में बहुत कुछ आता है। किंतु शाला में बोली जाने वाली भाषा उनके लिए एकदम नयी होती है। ऐसा अनुसान है कि एक बच्चे को शाला आने के पूर्व लगभग 5000 शब्दों का उनके प्रतिविवेदन के साथ ज्ञान होता है। जिसका वह उपयोग करता है। किन्तु विद्यालय में उसके अनुभवों को, बोली को नकारकर उससे अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अतः धीरे—धीरे वह अध्यापन कार्य में पिछड़ता चला जाता है। पढ़ाई में उसकी अरुचि होने लगती है तथा वह शाला आना नहीं चाहता। इस तरह बच्चों के शाला त्यागी और अनियमित उपस्थिति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या आदिवासी अंचलों में अधिक है। हम अभी भी समाज के उपेक्षित समूहों के बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ पाये हैं। शिक्षा के अवसरों की असमानता ने जीवन के अवसरों की असमानता को जन्म दिया है, फलस्वरूप ऐसे बच्चों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में भागीदारी के अवसर अति न्यून हो गए हैं।

1.3 सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं हैं। 87 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा 71 भाषाओं में रेडियो प्रसारण होता है। अकादमिक कार्यों के लिए 13 भाषाओं का प्रयोग होता है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि मात्र 47 भाषाओं का प्रयोग

ही स्कूलों में पढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन इतनी विविधता के बाद भी बहुत बहुभाषी और सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो भारत को भाषाई और सामाजिक परिवार में बाधा रखते हैं। इन भाषाओं में आपस में कोई संबंध न होने के बावजूद भी उनकी व्याकरण एकरूपता है। पंडित – (1969, 1972, 1988) पटनायक – (1981, 1988) श्रीवास्तव – (18979, 1988) दुआ – (1985) और खूबचंदानी – (1983, 1988) ने बहुभाषा पर बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। पंडित के अनुसार :— ‘भाषा की विविधता बहुभाषी क्षेत्र में सुविधा प्रदान करती है न कि उसे तोड़ने का काम। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुभाषा को बचाय रखने के प्रयास करने चाहिये न कि उसे दबाने के लिये’।

पटनायक के अनुसार— “हमारी शिक्षा व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर बहुभाषा के लाभ को सतत कमजोर किया है, जो कि हमारे समाज की विशेषता है।”

1.3 प्रारंभिक शिक्षा गरीबों, महिलाओं, ग्रामीणों एवं सामाजिक समूहों की परिस्थितियों को सुधारने का एक अच्छा माध्यम है। दकार फेमवर्क का प्रथम लक्ष्य यह है कि 2015 तक सभी वर्गी विशेषतः लड़कियों, ऐसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, अल्प संख्यक समूह के हैं, उन बच्चों को संपूर्ण शिक्षा अनिवार्यतः निःशुन्क और गुणवत्ता युक्त प्राप्त हो। दूसरा लक्ष्य साक्षरता दर बढ़ाना है खासकर महिलाओं की। शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है पढ़ने व सिखाने में विदेशी भाषा का प्रयोग करना। सभी देशों में स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं व लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाय। पिछड़ा एवं अल्प संख्यक समुदाय की शिक्षा के विकास में निम्नानुसार रुकावटें हैं :—

- प्राथमिक शालाओं में पढ़ाने के अनुचित माध्यम।
- शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संवाद हीनता।
- विद्यालयों का प्रतिकूल वातावरण।
- छोटी कक्षाओं में अनुपयुक्त पाठ्यचर्या व पाठ्य पुस्तकें।

अनुसूचित जनजातियाँ कौन सी हैं ?

पूरे संविधान में किसी भी स्थान पर अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि धारा 342 के अनुसार राष्ट्रपति के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय वह है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया हो। जनजाति पारंपरिक हिन्दू जाति व्यवस्था का मुख्य अंग नहीं है। भारत में अधिकांश जनजातियों की उत्पत्ति स्वतः या विश्व के अन्य क्षेत्रों से आई मानी जाती है। मिश्रा 2002 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ वे हैं :—

- जो यह दावा करती है कि वे इसी भूमि के हैं।
- सामान्यतः जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।
- ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- जो परंपरागत धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों को करते हैं।

- जो सामान्यतः अपने पूर्वजों परंपराओं पर आस्था रखते हैं।
- जिनका एक बहुत बड़ा समूह है।

यद्यपि यह समस्त विशेषतायें समस्त जनजातियों पर समान रूप से लागू नहीं होती। जनजातियों के 4 प्रकार के समूह हैं:-

- शिकार करने एवं वनोपज एकत्रित करने वाला समूह।
- कृषि करने वाला समूह।
- सिंचाई द्वारा कृषि करने वाला समूह।
- मेहनत मजदूरी करने वाला समूह।

1.4 छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी जनजातियां :-

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन् 2000 को हुआ पूर्व में यह मध्यप्रदेश का एक हिस्सा था। समुद्री घोड़े (सी हार्स) के आकार के इस राज्य का क्षेत्रफल 135194 वर्ग कि.मी. है। इसका अंक्षाशीय विस्तार 17 से 23.7 उत्तरी अंक्षाश एवं 80.40 से 83.38 देशांतरी विस्तार है। नवगठित इस राज्य में 16 जिले थे वर्तमान में 2 नये जिलों के निर्माण के पश्चात् राज्य में कुल 18 जिले हैं। यह 6 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इसका 5900 वर्ग कि.मी. क्षेत्र लोहा आदि खनिज संपदा से धनी इस राज्य में लाइमस्टोन, बॉक्साइट अलेकजेडर है। उत्तर में कंवर एवं दक्षिण में गोड जातियों के लोग अधिक हैं।

1.5 अनुसूचित जातियों की जनसंख्या :-

2001 के जनगणना के अनुसार भारत में 84.3 मिलियन अनुसूचित जातियां हैं। जो संपूर्ण जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या 66 लाख है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 31.8 है। यहां 42 आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। लगभग 94.7 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य में आदिवासी बहुल जिले दंतेवाड़ा (78.5) बस्तर (66.3) जशपुर (63.2) हैं। भारत में आदिवासियों की साक्षरता का दर 47 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत 52 प्रतिशत है। आदिवासियों की संख्या के आधार पर राज्य सभा और विधान सभा में इन्हें आरक्षण भी प्राप्त है।

2. पृष्ठभूमि :-

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का दायित्व समेकित रूप से स्कूल शिक्षा विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग, पंचायत विभाग, अल्पसंख्यक आयोग, एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ अकादमिक कार्य भी करता है। राज्य की

आवश्यकतानुसार पाठ्यचर्चा निर्माण, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, मूल्यांकन, शिक्षकों का विकास एवं शिक्षा के गुणात्मक विकास का दायित्व है।

जनसंख्या की बहुभाषिक विशेषता शिक्षा के मार्ग में एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा भारतीय संविधान की समर्ती सूची में शामिल है। जहां केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों हैं विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए जवाबदार है। बिल- 2005 के अनुसार शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। संविधान की धारा 46 में इस बात का विशेष उल्लेख किया एवं गया है कि राज्य के कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये जायें। साथ ही आदिम जाति एवं जनजातियों को सभी तरह से सामाजिक शोषण से मुक्त कर उन्हें सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाय।

2.1 छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय बोली छत्तीसगढ़ी है जो राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्रों में अधिक बोली जाती है। किन्तु राज्य के उत्तरी दक्षिणी भागों के दूरस्थ अंचलों में आदिवासी बोलियां बोली जाती हैं। राज्य के 146 विकासखंडों के, 86 विकासखंडों को आदिवासी विकासखंड का दर्जा प्राप्त है। यहां कुल 42 आदिवासी जनजातियां हैं जिनमें गोंडी, हल्बी, सादरी, कुडुख, कमारी, सरगुजिया, बैगा, उरांव, सांवरा, भतरी, डोरली आदि हैं। इसके अलावा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़िया और तेलंगू भाषी लोग निवास करते हैं। इसके अलावा बंगला भाषा का विशाल समूह भी कांकरे एवं रायपुर जिले के कुछ भागों में निवासरत है जिनके बच्चों को भी भाषा संबंधी कठिनाई होती है क्योंकि राज्य की शालाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। जिससे यहां के बच्चों में अध्ययन संबंधी समस्यायें पाई जाती हैं। अतः इन बच्चों को उनकी प्रथम भाषा में शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एक चुनौती है। इस चुनौती पर विजय पाने के लिए छ.ग. राज्य कठिबद्ध है।

नीति की आवश्यकता :-

- भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सी सुविधायें हैं जिसमें किसी भी नागरिक को उनकी जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 के उद्देश्य भी यही हैं, लेकिन ऐसी कोई भी एकमात्र पॉलिसी अभी तक नहीं बनी हैं जो बहुभाषा में शिक्षा के प्रयोग के मुददे को देखे।
- एक राज्य के पास उसकी अपनी पॉलिसी होनी चाहिये। ताकि शिक्षा संबंधी अनेक मुददे जैसे— नामांकन नियमित उपस्थिति और शाला त्यागी में कमी आदि समस्यों का आसानी से निदान हो सके।
- संवैधानिक प्रावधानों को जमीनी सतह पर लागू करने और सांथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक विकास करने में पॉलिसी से मदद प्राप्त होगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक शालाओं में आदिवासी बच्चों की दर्ज संख्या 36.82 है। जिसका 86.94 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत है।

लक्ष्य :—

राज्य के आदिवासी अंचलों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को कक्षा पहली और दूसरी बच्चों को प्रथम भाषा में शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

रणनीति :—

- प्रत्येक विभाग के मध्य समन्वय स्थापित कर उनकी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुरूप कार्य करना।
- शालाओं का एक विस्तृत सर्वे अनिवार्य होगा जहां वास्तव में बहुभाषा शिक्षा की आवश्यकता है।
- सर्वे के आधार पर भाषा समूह के अनुसार शालाओं का चयन करना।
- शिक्षकों में अवधारणा की समक्ष हेतु यूनिसेफ एवं जवाहर लाल, नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से कार्यशाला आयोजित करना।
- सर्वे के आधार पर विभिन्न भाषाओं में सामग्री तैयार करना।
- संपूर्ण कार्यक्रम जिले एवं विकासखंड की उन प्राथमिक शालाओं में संचालित करना जहां बहुभाषा की समस्या है।

4.1 पाठ्यक्रम :—

- आदिवासी और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को कक्षा पहली और दूसरी में उनकी प्रथम भाषा में शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
- राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों के लिए जिनकी प्रथम भाषा तेलगू, बंगाली और उड़िया है उनको सेतु पाठ्यक्रम के द्वारा में अध्यापन कार्य कराया जाएगा।
- यह एक सेतु पाठ्यक्रम है जो एक चैली का कार्य करेगा।
- प्रथम भाषा की लिपि देवनागरी होगी किन्तु शब्द और वाक्य उनके आसपास के स्थानीय परिवेश के होंगे।
- प्रचलित पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी को आधार मानकर पढ़ाया जाएगा।
- गणित की संक्रियाओं को समझाने के लिए उनकी बोली का उपयोग किया जावेगा।
- तेलगू / उड़िया / बंगाली को तृतीय भाषा के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर शालाओं में लागू किया जावेगा जहां उस बोली के बच्चों की संख्या कम से कम 25% 50% प्रतिशत से अधिक हो।

५

शिक्षकों का
आवश्यकता
समानता
के लिए कठिबद्ध है।

अतः इन आदिवासी बच्चों की शिक्षा का गुणात्मक विकास करने हेतु बहुभाषा शिक्षा नीति की आवश्यता है। इन बच्चों को गुणवत्तापूर्व शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। अतः राज्य सरकार इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कठिबद्ध है।

पालिसी के सिद्धान्त :—

भारतीय संविधान में आदिवासियों को दी जाने वाली सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सशक्तिकरण से पॉलिसी को मार्ग दर्शन लेना चाहिये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसुचित जन जाति को परिभाषित किया गया है। संविधान की धारा 14, 15, 16 में समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। धारा 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

उद्देश्य :—

- बहुभाषी बच्चों को प्रथम भाषा में शिक्षा देकर उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर उनकी नींव को मजबूत करना।
- शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, शाला त्यागी बच्चों की समस्या को दूर कर उन्हें पुनः शाला में लाना, एवं बच्चों की उपस्थिति को नियमित करना।
- शिक्षक की क्षमता का विकास कर अध्यापन को बेहतर बनाना।
- समुदाय को विद्यालयों में भागीदारी हेतु प्रेरित करना।
- बच्चों को समुदाय में प्रचलित कहानियों एवं गीतों एवं खेलों के माध्यम से उनकी संस्कृति की जानकारी देना, जिससे वे उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकें।
- अल्पसंख्यक बच्चों को प्रेरित करना ताकि वह कक्षा में सक्रिय भागीदारी कर सकें।
- बच्चों की समझ को परिवेश के माध्यम से विकसित करना।

वर्तमान परिदृश्य :—

आदिवासी बच्चों को उनकी प्रथम भाषा में शिक्षा देने का कार्य राज्य में 2005 से आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत कई राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन कर इस योजना को कार्यरूप में परिणित किया गया है। यह योजना राज्य के नौ जिलों के दस शालाओं में चल रही है ये जिले हैं दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतरी, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, कोरबा, जशपुर हैं। जहां हल्बी, गोंडी, कमारी, सरगुजिया, कुडुख, बिरहोर, सादरी हैं। इस सत्र में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषायें उड़िया, तेलगु, बंगाली, एवं छत्तीसगढ़ी को भी शामिल किया जाना है।

- बहुभाषा शिक्षा के अंतर्गत चयनित विकासखंड को इकाई मानकर आवश्यक बोली जानकारी प्राप्त की जाएगी जिनमें उस क्षेत्र की बोली के बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा।
- प्रचलित पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- शिक्षकों की क्षमता विकास हेतु संदर्शिका का निर्माण किया जाएगा।
- गतिविधियों का समावेश कर शिक्षा को रोचक एवं आनंददायी बनाया जावेगा।
- शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने हेतु क्षेत्रीय संस्कृति पर आधारित तथ्यों का समयानुसार उपयोग किया जाएगा।

प्रशिक्षण :-

- बहुभाषा शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
- प्रशिक्षण एन.जी.ओ.एवं जे.एन.यू. के स्त्रोत सदस्यों के सहयोग से एस.सी.ई.आर.टी में दिया जावेगा।
- प्रशिक्षण प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को दिया जावेगा।
- प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर दिया जावेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से पृथक से योजना बनाई जाएगी।
- प्रशिक्षण के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ का होगा।
- सहायक सामग्रियों के निर्माण हेतु स्थानीय कलाकारों भाषाविदों का सहयोग लिया जावेगा।
- सहायक सामग्रियों के मानकीकरण हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं समुदाय से चर्चा की जाएगी।
- प्रत्येक डाइट में एक प्रकोष्ठ प्रभारी होगा जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सतत मानिटरिंग करेंगे तथा राज्य स्तर एवं विकासखंड स्तर पर समन्वय का कार्य करेंगे।

मानिटरिंग:-

सतत मानिटरिंग कर बच्चों का मूल्यांकन कर बच्चों की दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मानिटरिंग डाइट स्तर, राज्य स्तर तथा अन्य सदस्यों द्वारा किया जाएगी।

मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक पांच वर्षों बाद योजना का मूल्यांकन किया जाएगा।

